न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
[illegible]	एफ0एस0एस0 एक्ट, 2006	12/[illegible]/20[illegible]

1. मदन सिंह सलावत,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर

बनाम

-आवेदक

1. दिनेश सिंहल पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद सिंहल उम्र 42 वर्ष जाति महाजन निवासी [illegible] कॉलोनी गंगापुर सिटी (एफ0बी0ओ0 व मालिक) –फर्म– मुरलीकृष्ण [illegible] ,सर्राफा [illegible] गंगापुर सिटी।

-अभियुक्तगण

धारा: अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 29.[illegible].2024

प्रकरण खाद्य निरीक्षण आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मदन सिंह सलावत , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। [illegible] के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री [illegible] द्वारा दिनांक 20.11.2021 को [illegible] गंगापुर सिटी का निरीक्षण किया। उक्त निरीक्षण दुकान पर मौजूद [illegible] दिया। निरीक्षण के दौरान दुकान के भीतर [illegible] [illegible] का नमूना खाद्य जांच हेतु विक्रेता से [illegible] तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] ने भी हस्ताक्षर किये।

[illegible] तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री [illegible] द्वारा [illegible] दिनेश सिंहल को [illegible] (एक सौ [illegible] रुपये) [illegible] तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] के भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने [illegible] तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को [illegible] रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को [illegible] एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के [illegible] दिनांक [illegible] के द्वारा प्राप्त हुआ कि खाद्य [illegible] राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट [illegible] दिनांक [illegible] को [illegible] का पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य [illegible] राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट [illegible] दिनांक [illegible] के अनुसार [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 [illegible] [illegible] अभियुक्तगण [illegible] [illegible] जा सके।

[illegible]
[illegible] जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा अभियुक्त द्वारा एक दिन पहले ही बाहर से मंगवाया गया था। जिसका बिल भी अभियुक्त द्वारा मंगवाया गया था। किन्तु अभियुक्त का गोदाम निवास पर ही होने के कारण बिल बच्चों द्वारा कही ईधर–उधर कर दिया इस कारण उक्त बिल अभियुक्त द्वारा उपलब्ध नही कराया जा सका। आवेदक द्वारा नमूना लेते समय मावे को रूम तापमान में आने तक का इन्तजार नही किया और ना ही कट्टे के मावे को अच्छी तरह मिक्स किया गया, जिस कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। अभियुक्त द्वारा उक्त मावे में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नही की गयी है। जिस अवस्था में अभियुक्त द्वारा मावा क्रय किया गया है, उसी अवस्था में विक्रय किया गया है। वर्तमान में अभियुक्त द्वारा उक्त फर्म से मावा क्रय करना बन्द कर दिया गया है, साथ ही वकील अभियुक्त ने सहानुभुति पूर्वक विचार कर न्यूनतम पैनेल्टी लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1719/एक्ट/2021/1599 दिनांक 26.11.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने खाद्य वस्तु मावा का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि मे आवेदन कर सकता था, साथ ही वकील अभियुक्त ने अवगत कराया कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा का बिल बच्चों द्वारा गुम कर दिया गया है, लेकिन अभियुक्त द्वारा ना तो उसी फर्म से उक्त मावे के बिल को कोई छायाप्रति प्रस्तुत नहीं की है। अभियुक्त चाहता तो उक्त बिल की छायाप्रति संबंधित फर्म से दुबारा मांग कर प्रस्तुत कर सकता था। लेकिन अभियुक्त द्वारा कोई बिल न्यायालय हाजा में भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को 80,000 (अस्सी हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक. 28.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी